



### कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय की परीक्षा विनियमावली-2014 के बिन्दु संख्या-11 में निर्दिष्ट CGPA ग्रेडिंग प्रणाली को प्राप्तांक प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु निर्दिष्ट सूत्र पर सम्यक् विचारोपरांत, सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में व्यापक छात्र हित के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र-2020-21 से नवीन सूत्र लागू करने का निर्णय लिया गया है।

CGPA ग्रेडिंग प्रणाली को प्राप्तांक प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु गणना का नवीन सूत्र निम्नवत् होगा :-

$$X = 10 Y$$

(जहाँ X प्राप्तांक प्रतिशत है, Y का आशय CGPA से है, 10 यहाँ पर 10 पॉइंट का पैमाना है।)

अतः विश्वविद्यालय की स्थापना काल से अद्यतन घोषित समस्त परीक्षा परिणामों के सापेक्ष उक्तानुसार CGPA को प्राप्तांक प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु गणना (नवीन सूत्र के माध्यम से) इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से की जायेगी। किन्तु कार्यालय-ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व के प्रकरण (यथा प्रवेश, चयन इत्यादि के घोषित परिणाम) इससे आच्छादित नहीं होंगे व न ही पूर्व के प्रकरण पुनरुद्घाटित होंगे तथा अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र (डिग्री) में विद्यार्थियों के एतदसम्बन्धी संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(डॉ अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 21 जून, 2021

पत्रांक: COE-56/पत्रा.सं.-COE-41/परीक्षा/DSMNRU/2021-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. सम्बन्धित अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(डॉ अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक